रजिस्ट्री सं. डी (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 5, 1983/कार्तिक 14, 1905

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 5, 1983/KARTIKA 14, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि भी सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules including orders, bye-laws etc. of a general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1983

सा०का०नि० 799.—कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 10E की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारत सरकार विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, (कम्पनी कार्य विभाग) सा०का०नि० संख्या 2480 दिनांक 23 मई, 1983 में यथा 15 सितम्बर, 1983 को संशोधित निम्नलिखित और संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में खण्ड (क) में, 6 प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि समाविष्ट होगी, नामत:

"7. श्री आर० एन० बंसल"

2. उपरोक्त संशोधन 12 सितम्बर, 1983 से प्रभावी है।

[सं ए-45011/45/83-प्रशा० 1]

आर० डी० मखीजा, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 30th September, 1983

G.S.R. 799.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of Government of India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) G.S.R. No. 2480 dated 23rd May, 1983 as amended on 15th September, 1983, namely :—

In the said Notification in clause (a) after entry 6, the following entry shall be inserted, namely :—

"7. Shri R. N. Bansal."

2. The aforesaid amendment takes effect from 12th September 1983.

[No. A-45011/45/83-Admn. I]

R. D. MAKHEEJA, Under Secy.

929 GI/83—1

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1983

सा० का० नि० 804.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित उसके अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में नियंत्रक महालेखा-परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) चतुर्थ संशोधन नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम, 39 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, है अर्थात् :—

"(3) ऐसे किसी भी सरकारी सेवक के मामले में जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर उस समय सेवा-निवृत्त होता है जब वह निलम्बनाधीन है अथवा जब उसके विरुद्ध अनुशासनिक अथवा दाण्डिक कार्यवाहियां लम्बित हैं, और यदि छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का यह विचार है कि उसके विरुद्ध कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने पर उससे कुछ धन वसूल करने की कोई सम्भावना है तो उक्त प्राधिकारी उसकी अर्जित छुट्टी के समतुल्य संपूर्ण नकद राशि अथवा उसका कोई भाग रोक सकता है। कार्यवाहियों की समाप्ति पर वह सरकारी देयों के यदि कोई हों, समायोजन के पश्चात् इस प्रकार रोकी गई रकम पाने का पात्र हो जाएगा।"

[संख्या पी० 14028/6/81-स्था० (छु०)]
एस० हरिहरन, अवर सचिव

टिप्पणी :— मूल केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 को नीचे ब्यौरेवार दी गई अधिसूचना/राजपत्र द्वारा संशोधित किया गया है :—

अधिसूचना की संख्या और तारीख राजपत्र अधिसूचना की संख्या तारीख का विवरण

1. एफ 16 (3)-ई-IV(ए)/71 तारीख 11-9-1972 का० आ० सं० 3724 तारीख 4-11-1972
2. एफ 4(7)-ई-IV(ए)/72 तारीख 30-4-1973 का० आ० सं० 1399 तारीख 19-5-73
3. एफ 5(14)-ई-IV(ए)/73 तारीख 13-7-73 सा०का०नि० सं० 82 तारीख 4-8-73
4. एफ० 14(10)-ई-IV(ए)/73 तारीख 11-6-74 उपलब्ध नहीं
5. एफ 5(8)-ई-IV(ए)/73 तारीख 19-7-74 सा० का० नि० सं० 818 तारीख 3-8-74
6. एफ 14(8)-ई-IV(ए)/83 तारीख 2-11-1974 सा० का० नि० सं० 1242 तारीख 23।12।73
7. एफ 16(3)-ई-IV(ए)/74 तारीख 20-12-74 सा० का० नि० सं० 1374 तारीख 28-12-74
8. एफ 16 (5)-ई-IV(ए)/74 तारीख 11-4-75 सा० का० नि० सं० 526 तारीख 26-4-75
9. एफ 16 (8)-ई-IV(ए)/74 तारीख 26-5-75 सा० का० नि० सं० 686 तारीख 7-6-75
10. एफ 4 (1)-ई-IV(ए)/74 तारीख 24-6-75 सा० का० नि० सं० 834 तारीख 12-7-75
11. एफ 16 (5)-ई-IV (ए)/74 तारीख 20-9-75 सा० का० नि० सं० 2876 तारीख 27-12-75
12. एफ 5 (7)-ई-IV (ए) /74 तारीख 2-12-75 सा० का० नि० सं० 2877 तारीख 27-12-75
13. एफ 5 (16)-ई-IV(ए)/73 तारीख 15-1-76 उपलब्ध नहीं है।
14. एफ 16(5)-ई-IV(ए)/74 तारीख 31-7-76 सा०का०नि० सं० 1184 तारीख 14-8-76
15. एफ 4 (3)-ई-IV(ए)/75 तारीख 7-10-76 सा० का० नि० सं० 1587 तारीख 13-11-76
16. एफ 4(9)-ई-IV(ए)/75 तारीख 14-3-77 सा० का० नि० सं० 611 तारीख 14-5-77
17. एफ 14 (11)-ई-IV(ए)/76 तारीख 12-9-78 सा० का० नि० सं० 1159 तारीख 23-9-78
18. पी० 14025/12/78-ई-IV(ए) तारीख 4-10-78 सा० का० नि० सं० 1253 तारीख 21-10-78
19. पी 13024/1/78-ई-IV (ए) तारीख 29-8-79 सा० का० नि० सं० 1150 तारीख 15-9-79
20. पी 11012/1/77-ई-IV (ए) तारीख 21-11-79 सा० का० नि० सं० 1422 तारीख 1-12-79
21. पी 14018/1/80-एल यू तारीख 21-11-80 सा० का० नि० सं० 1200 तारीख 13-12-80
22. एफ 16(9)-ई-IV (ए)/76 तारीख 31-12-80 का० आ० सं० 263 तारीख 24-1-81
23. पी 11012/2/80-स्थापना (छु) तारीख 24-8-81 सा० का० नि० सं० 811 तारीख 5-9-81
24. पी 14028/9/80-स्था० (छु) तारीख 1-10-81 सा० का० नि० सं० 927 तारीख 17-10-81
25. पी 14028/9/80-स्था० (छु) तारीख 16-4-82 सा० का० नि० सं० 423 तारीख 8-5-82
26. पी० 13023/1/82-स्था० (छु) तारीख 19-4-83 सा० का० नि० सं० 413 तारीख 4-6-83
27. पी 14028/8/82-स्था० (छु) तारीख 27-7-83 तुरन्त उपलब्ध नहीं है।
28. पी 13023/2/81-स्था० (छु) जारी होना है। तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 17th October, 1983

G.S.R. 804.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution read with clause (5) of Article 148 thereof and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) (Fourth Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, for sub-rule (3) of Rule 39, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) The authority competent to grant leave may withhold whole or part of cash equivalent of earned leave in the case of a Government servant who retires from service on attaining the age of retirement while under suspension or while disciplinary

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1983

सा० का० नि० 804.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित उसके अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) चतुर्थ संशोधन नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम, 39 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, है, अर्थात् :—

"(3) ऐसे किसी भी सरकारी सेवक के मामले में जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर उस समय सेवा-निवृत्त होता है जब वह निलम्बनाधीन है अथवा जब उसके विरुद्ध अनुशासनिक अथवा दाण्डिक कार्यवाहियां लम्बित हैं, और यदि छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का यह विचार है कि उसके विरुद्ध कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने पर उससे कुछ धन वसूल करने की कोई सम्भावना है तो उक्त प्राधिकारी उसकी अर्जित छुट्टी के समतुल्य संपूर्ण नकद राशि अथवा उसका कोई भाग रोक सकता है। कार्यवाहियों की समाप्ति पर वह सरकारी देयों के यदि कोई हों, समायोजन के पश्चात् इस प्रकार रोकी गई रकम पाने का पात्र हो जाएगा।"

[संख्या पी० 14028/6/81-स्था० (छु०)]

एस० हरिहरन, अवर सचिव

टिप्पणी :— मूल केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 को नीचे ब्यौरेवार दी गई अधिसूचना/राजपत्र द्वारा संशोधित किया गया है :—

अधिसूचना की संख्या और तारीख राजपत्र अधिसूचना की संख्या तारीख का विवरण

1. एफ 16 (3)-ई-IV(ए)/71 तारीख 11-9-1972 का० आ० सं० 3724 तारीख 4-11-1972
2. एफ 4(7)-ई-IV(ए)/72 तारीख 30-4-1973 का० आ० सं० 1399 तारीख 19-5-73
3. एफ 5(14)-ई-IV(ए)/73 तारीख 13-7-73 सा०का०नि० सं० 82 तारीख 4-8-73
4. एफ० 14(10)-ई-IV(ए)/73 तारीख 11-6-74 उपलब्ध नहीं
5. एफ 5(8)-ई-IV(ए)/73 तारीख 19-7-74 सा० का० नि० सं० 818 तारीख 3-8-74
6. एफ 14(8)-ई-IV(ए)/83 तारीख 2-11-1974 सा० का० नि० सं० 1242 तारीख 23-12-73
7. एफ 16(3)-ई-IV(ए)/74 तारीख 20-12-74 सा० का० नि० सं० 1374 तारीख 28-12-74
8. एफ 16 (5)-ई-IV(ए)/74 तारीख 11-4-75 सा० का० नि० सं० 526 तारीख 26-4-75
9. एफ 16 (8)-ई-IV(ए)/74 तारीख 20-5-75 सा० का० नि० सं० 686 तारीख 7-6-75
10. एफ 4 (1)-ई-IV(ए)/74 तारीख 24-6-75 सा० का० नि० सं० 834 तारीख 12-7-75
11. एफ 16 (5)-ई-IV (ए)/74 तारीख 20-9-75 सा० का० नि० सं० 2876 तारीख 27-12-75
12. एफ 5 (7)-ई-IV (ए) /74 तारीख 2-12-75 सा० का० नि० सं० 2877 तारीख 27-12-75
13. एफ 5 (16)-ई-IV(ए)/73 तारीख 15-1-76 उपलब्ध नहीं है।
14. एफ 16(5)-ई-IV(ए)/74 तारीख 31-7-78 सा०का०नि० सं० 1184 तारीख 14-8-78
15. एफ 4 (3)-ई-IV(ए)/75 तारीख 7-10-76 सा० का० नि० सं० 1587 तारीख 13-11-76
16. एफ 4(9)-ई-IV(ए)/75 तारीख 14-3-77 सा० का० नि० सं० 611 तारीख 14-5-77
17. एफ 14 (11)-ई-IV(ए)/76 तारीख 12-9-78 सा० का० नि० सं० 1159 तारीख 23-9-78
18. पी० 14025/12/78-ई-IV(ए) तारीख 4-10-78 सा० का० नि० सं० 1255 तारीख 21-10-78
19. पी 13024/1/78-ई-IV (ए) तारीख 29-8-79 सा० का० नि० सं० 1150 तारीख 15-9-79
20. पी 11012/1/77-ई-IV (ए) तारीख 21-11-79 सा० का० नि० सं० 1422 तारीख 1-12-79
21. पी 14018/1/80-एल यू तारीख 21-11-80 सा० का० नि० सं० 1260 तारीख 13-12-80
22. एफ 16(9)-ई-IV (ए)/76 तारीख 31-12-80 का० आ० सं० 263 तारीख 24-1-81
23. पी 11012/2/80-स्थापना (छु) तारीख 24-8-81 सा० का० नि० सं० 811 तारीख 5-9-81
24. पी 14028/9/80-स्था० (छु) तारीख 1-10-81 सा० का० नि० सं० 927 तारीख 17-10-81
25. पी 14025/9/80-स्था० (छु) तारीख 16-4-82 सा० का० नि० सं० 423 तारीख 8-5-82
26. पी० 13023/1/82-स्था० (छु) तारीख 16-4-83 सा० का० नि० सं० 413 तारीख 4-6-83
27. पी 14028/8/82-स्था० (छु) तारीख 27-7-83 तुरन्त उपलब्ध नहीं है।
28. पी 13023/2/81-स्था० (छु) जारी होना है। तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 17th October, 1983

G.S.R. 804.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution read with clause (5) of Article 148 thereof and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) (Fourth Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, for sub-rule (3) of Rule 39, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) The authority competent to grant leave may withhold whole or part of cash equivalent of earned leave in the case of a Government servant who retires from service on attaining the age of retirement while under suspension or while disciplinary

or criminal proceedings are pending against him, if in the view of such authority there is a possibility of some money becoming recoverable from him on conclusion of the proceedings against him. On conclusion of the proceedings, he will become eligible to the amount so withheld after adjustment of Government dues, if any."

[No. P. 14028/6/81-Estt. (L)]

S. HARIHARAN, Under Secy.

Note.—The Principal Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 have been amended vide Notification/Gazette detailed below :—

No., date of Notification. Particulars of Gazette Notification No. & Date

1. 16(3)-E. IV(A)/71 dt. 11-9-1972 S.O. No. 3724 dt. 4-11-72.
2. F. 4(7)-E. IV(A)/72 dt. 30-4-1973 S.O. No. 1399 dt. 19-5-73.
3. F. 5(14)-E. IV(A) 73 dt. 13-7-1973 G.S.R. No 821 dt. 4-8-73.
4. F. 14(10)-E. IV(A) 73 dt. 11-6-74 Readily ot available.
5. F. 5(8)-E. IV(A)/73 dt. 19-7-74 G.S.R. No. 818 dt. 3-8-74.
6. F. 14(8)-E. IV(A)/73 dt. 2-11-74 G.S.R. No. 1242 23-11-74.
7. F. 16(3)-E. IV(A)/74 dt. 20-12-74 G.S.R. No. 1374 dt. 28-12-74.
8. F. 16(5)-E. IV(A)/74 dt. 11-4-75 G.S.R. No. 526 dt. 26-4-75.
9. F. 16(8)-E. IV(A)/74 dt. 26-5-75 G.S.R. No. 686 dt. 7-6-75.
10. F. 4(1)-E. IV(A)/74 dt. 24-6-75 G.S.R. No. 834 dt. 12-7-75.
11. F. 16(5)-E. IV(A)/74 dt. 20-9-75 G.S.R. No. 2876 dt. 27-12-75.
12. F. 5(7)-E. IV(A)/75 dt. 2-12-75 G.S.R. No. 2877 dt. 27-12-75.
13. F. 5(16)-E. IV(A)/73 dt. 15-1-76 Not readily available.
14. F. 16(6)-E. IV(A)/74 dt. 31-7-76 G.S.R. No. 1184 dt. 14-8-76.
15. F. 6(3)-E. IV(A)/75 dt. 7-10-76 G.S.R. No. 1587 dt. 13-11-76.
16. F. 4(9)-E. IV(A)/76 dt. 14-3-77 G.S.R. No. 611 dt. 14-5-77.
17. F. 14(11)-E. IV(A)/76 dt. 12-9-78 G.S.R. No. 1159 dt. 23-9-78.
18. P. 14025/12/78-EIV(A) dt. 4-10-78 G.S.R. No. 1255 dt. 21-10-78.
19. P 13024/1/78-EIV(A) dt. 29-8-79 G.S.R. 1150 dt. 15-9-79.
20. P 11012/1/77-EIV(A) dt. 21-11-79 G.S.R. No. 1422 dt. 1-12-79.
21. P 14018/1/80-LU dt. 21-11-80 G.S.R. No. 1260 dt. 13-12-80.
22. F. 16(9)-EIV(A)/76 dt. 31-12-80 S.O. No. 263 dt. 24-1-81.
23. P 11012/2/80-Estt. (L) dt. 24-8-81 G.S.R. No. 811 dt. 5-9-81.
24. P. 14028/9/80-Estt (L) dt. 1-10-81 G.S.R. No. 927 dt. 17-10-1981.
25. P. 14025/9/81-Estt (L) dt. 16-4-82 G.S.R. No. 423 dt. 8-5-82.
26. P. 13023/1/82-Estt (L) dt. 16-4-83 G.S.R. No. 443 dt. 4-6-83.
27. P. 14028/8/82-Estt (L) dt. 27-7-83 Readily not available.
28. P. 13023/2/81-Estt (L) Under Issue Readily not available.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1983

सा० का० नि० 805—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने एतद्द्वारा कनिष्ठ वित्त अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय) (संशोधन) भर्ती नियम, 1979 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को कनिष्ठ वित्त अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय) (संशोधन) भर्ती नियम, 1983 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. कनिष्ठ वित्त अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय) (संशोधन) भर्ती नियम, 1978 में —

(i) नियम 1, उप नियम (i) में कोष्ठक तथा शब्द (संशोधन) हटा दिए जाएंगे ।

(ii) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम बनाए जाएंगे, अर्थात् :-

"4. अनर्हता : कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो या करना तय किया हो, जिसका पति/पत्नी जीवित हो ; अथवा

(ख) जिसने एक पत्नी/पति के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया हो या करना तय किया हो, उस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि विवाह करने वाले व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष में लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत ऐसा विवाह करना अनुमत है, और ऐसा करने के लिए और भी कारण हैं, तो उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।",

(iii) नियम 5 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"6. अपवाद : इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए किए जाने वाले आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(iv) अनुसूची में कालम 6 में की गयी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात् :—

"30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है)"

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 1983/वैशाख 10, 1905

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 1983/VAISAKHA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1983

सा.का.नि. 338 :—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से, अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) संशोधन नियम, 1983 है ।

(2) ये प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 में नियम 13 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) जहां सेवा का कोई ऐसा सदस्य, जिसे परिवर्तित छुट्टी मंजूर की गई है, सेवा से त्यागपत्र देता है या उसके अनुरोध पर ड्यूटी पर वापस आए बिना स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात कर दिया जाता है, वहां परिवर्तित छुट्टी अर्ध वेतन छुट्टी समझी जाएगी और परिवर्तित छुट्टी तथा अर्ध वेतन छुट्टी के सम्बन्ध में छुट्टी वेतन के बीच के अन्तर को वसूल किया जाएगा ।

परन्तु यह कि ऐसी कोई वसूली नहीं की जाएगी यदि सेवानिवृत्ति, ऐसे खराब स्वास्थ्य के कारण, जो सेवा के सदस्य को आगे सेवा के लिए असमर्थ बनाता है, या उसकी मृत्यु होने पर, हुई है ।"

[संख्या 11019/24/81-ए.आई.एस. (3)]

बी. आर. श्रीनिवासन, अवर सचिव

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classifications	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Packer/Mazdoor.	9	General Civil Service, Group D, Non-gazetted.	Rs. 196-3-220 EB-3-232.	Not applicable.	18—25 years. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are requested to foward nomination.	Essential: Some experience of packing and unpacking of parcels and despatching of parcels. Desirable: Ability to read and write Hindi and English.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion deputation transfer, grades from which promotion deputation transfer to be made	If a Departmental promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	Direct recruitment 100% (In the initial stage the vacancies will be filled up from amongst the casual labourers who have been working in the Vivid Bharti Service and are eligible for regularisation in Group D posts in terms of Government instructions issued from time to time.	Not applicable.	(i) Head of Stations/Offices— Chairman. (ii) Assistant Station Director/Assistant Station Engineer/(Programme Executive Assistant Engineer where Assistant Station Director/Assistant Station Engineer is the head of office —Member. (iii) Administrative Officer Headclerk —Member.	Not applicable

[No.11/52/81-S.II/B(A)]
J.L. MATHUR, Under Secy.

पूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1983

सा.का.नि. 350.—संविधान के अनुच्छेद 309 तथा अनुच्छेद 148 के उप खण्ड 5 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्द्वारा राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कलकत्ता तथा इसके अन्य यूनिटों में वैज्ञानिक सहायक (इलैक्ट्रोनिक्स) के पद के लिए भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ :—(1) ये नियम राष्ट्रीय परीक्षणशाला, कलकत्ता, वैज्ञानिक सहायक (इलैक्ट्रोनिक्स) भर्ती नियम, 1983 कहे जायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू माने जायेंगे ।

2. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों के साथ लगी अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हताएं आदि :—उक्त पद के सम्बद्ध में भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और तत्संबंधी अन्य बातें वे होंगी जो कथित अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. अनर्हताएं :—कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवितहै, अथवा,

(ख) जिसने अपनी पत्नी/अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति पर और जिस व्यक्ति से विवाह किया जाता है, उस पर लागू होने वाले निजी कानून के अन्तर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है और यदि ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह इस नियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा लिखित रूप में अंकित किए जाने वाले कारणों से किसी भी वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकती है।

6. छूट :—इन नियमों की कोई बात केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयुसीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कलकत्ता तथा इसकी पूर्ति मंत्रालय में शाखा इकाइयों में वैज्ञानिक सहायक (इलैक्ट्रोनिक) के पदों के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की सं०	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	क्या पूर्व सीमा की अवधि का लाभ के० स० से० (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन स्वीकार्य होगा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
वैज्ञानिक सहायक (इलैक्ट्रोनिक्स)	4* (1983) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "बी" (अराजपत्रित) अलिपिकीय	550-25-750-द०रो०-30-900/-	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट) नोट : भारत में रहने वाले उम्मीदवारों (अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों को छोड़कर) से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को, आयुसीमा निर्धारित करने के लिए, निर्णायक तिथि के रूप में माना जायेगा।	नहीं	अनिवार्य : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में विकसित मापों/मानकीकरण उपकरण टैक्नोलोजी सहित प्रायोगिक भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इसके समकक्ष अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा के एक विषय के रूप में वायरलैस/इलै० सहित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रानिक्स अथवा दूर संचार में डिग्री अथवा समकक्ष अथवा प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में इलैक्ट्रोनिक्स सहित इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा समकक्ष (यदि उम्मीदवार अन्य प्रकार से सुयोग्य हो तो सं० लो० से० आ० के विवेक से अर्हताओं में छूट दी जा सकती है) वांछनीय—किसी भी मान्यता प्राप्त इलै० परीक्षण प्रयोगशाला का अनुभव।

अनुबंध I					
क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होगी और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	विचारों की पुष्टि के लिए ग्रुप बी विभागीय पदोन्नति समिति 1. संयुक्त निदेशक राष्ट्रीय परीक्षण शाला—अध्यक्ष 2. उप निदेशक (इले०)—सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन)—सदस्य टिप्पणी : स्थायीकरण के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का विवरण अनुमोदन के लिए आयोग को भेजा जाएगा। परन्तु यदि आयोग द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की एक नयी बैठक की जायेगी।	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

[फा० सं० ए-12022/8/82-स्थापना 1]

आर० दोरैस्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF SUPPLY

New Delhi, the 13th April, 1983

G.S.R. 350.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and Sub-clause 5 of article 148 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientific Assistant (Electronics) in the National Test House, Calcutta and its other units, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Test House, Calcutta, Scientific Assistant (Electronics) Recruitment Rules, 1983;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and Scale of Pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Recruitment rules for the post of Scientific Assistant (Electronics) in the National Test House, Calcutta and its Branches, unit in Ministry of Supply

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Scientific Assistant (Electronics)	4* (1983) *Subject to variation dependant on work-load.	General Central Service Group-'B' (Non-Gazetted) Non-Ministerial.	Rs. 550-25-750-EB-30-900/-.	Not applicable.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants by 5 years in accordance with the instruction issued by the Central Govt.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar islands & Lakshadweep)	No.	Essential: Master's Degree in Applied Physics with advanced Measurements / Standardisation/ Instrument Technology as a subject of a recognised University or equivalent. OR Master's Degree in Physics with Wireless Electronics as subject of study of a recognised University or equivalent. OR Degree in Electronics or Telecommunication of a recognised University or equivalent. OR Degree in Electrical Engg. with Electronics as a subject of recognised University or equivalent. (Qualifications relaxable at UPSC's discretion in case of candidates otherwise well qualified). Desirable: Experience in any recognised Electronic Testing Laboratory.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	2 years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'B' DPC for considering confirmation:— 1. Jt. Dir. NTH—Chairman. 2. Dy. Dir. (Electronics)—Member. 3. Dy. Dir. (Admn.)—Member.	Consultations with the U.P.S.C. necessary while making direct recruitment.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Note: The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval, if however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or Member of the UPSC shall be held.	

[F.No. A-12022/8/82 ESI]
R. DORAISWAMY, Under Secy.

(पर्यावरण विभाग)

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1983

का॰ आ॰ नि॰ 351—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 390 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण विभाग में लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण विभाग लेखा अधिकारी, भर्ती नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना आवश्यक अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	6क	7
लेखा अधिकारी	1* *1982 कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित (अनुसचिवीय)	840-40-1000-द॰ रो॰-40-1200 रु॰	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 9, 1984/ज्येष्ठ 19, 1906

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 9, 1984/JYAISTHA 19, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territori[illegible]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, 23 मई, 1984

सा०का०नि० 562.—राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1976 के नियम 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

1 (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) (चतुर्थ संशोधन), नियम, 1984 है।

(2) ये तत्काल से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1976 की अनुसूची I के क्रम सं० 30, 46 और 49 के अन्तर्गत कालम 8 में निम्न वांछनीय अर्हताओं की प्रविष्टि की जाती है :—

"वांछनीय : (क) होम गार्ड / नागरिक सुरक्षा वालंटियरों के रूप में 3 वर्ष की सेवा।

(ख) होम गार्ड और सिविल सुरक्षा में कम से कम 'बुनियादी' तथा 'पुनश्चर्या' पाठ्यक्रम।

[संख्या ए-35011/12/81-प्रशा०]

के० सी० सिंह, राष्ट्रपति का उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 23rd May, 1984

G.S.R. 562.—In exercise of the powers conferred by Rule 16 of the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1976, the President hereby makes the following rules :—

1. (1) These rules may be called the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) (Fourth Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall be deemed to have come into force with immediate effect.

2. The following shall be added as desirable qualification in column 8 against Serial Nos. 30, 46 and 49 in Schedule I to the President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Services) Rules, 1976:—

"Desirable : (a) '3 years' service as Home Guards/Civil Defence Volunteers and (b) training in at least 'Basic' and 'Refresher' courses in Home Guards and Civil Defence."

[No. A-35011/12/81-Adm.]

K. C. SINGH, Dy. Secy. to the President

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 22 मई, 1984

सा०का०नि० 565—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुसंधान अधिकारी) (श्रेणी II) भर्ती नियम, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुसंधान अधिकारी श्रेणी-II) भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुसंधान अधिकारी श्रेणी-II) भर्ती नियम 1973 की अनुसूची में स्तम्भ 6 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"30 वर्ष

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।"

[संख्या ए० 12018/3/84-प्रशा०-1]

ए० एन० सिक्का, अवर सचिव

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 22nd May, 1984

G.S.R. 565.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Personnel and Administrative Reforms (Research Officer—Class II) Recruitment Rules, 1973 namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Personnel and Administrative Reforms, (Research Officer Class II) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Personnel and Administrative Reforms (Research Officer Class-II) Recruitment Rules, 1973, in column 6, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

'30 years

(Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).'

[No. A-12018/3/84-Ad.I]

A. N. SIKKA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 मई, 1984

सा० का० नि० 566—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) (पहला संशोधन) नियम 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 18 का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 19 में :—

(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— "राजपत्रित और अराजपत्रित सरकारी सेवकों को चिकित्सीय प्रमाण-पत्र पर छुट्टी की मंजूरी।"

(ख) उपनियम (1) और उसके नीचे के टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर छुट्टी के लिए दिए गए आवेदन के साथ, यदि वह—

(i) किसी राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा दिया गया है तो किसी प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा प्रारूप 3 में दिया गया चिकित्सीय प्रमाण-पत्र होगा ;

(ii) किसी अराजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा दिया गया है तो किसी प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक या किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रारूप 4 में दिया गया चिकित्सीय प्रमाणपत्र होगा।

जिसमें यथा संभव स्पष्टतः बीमारी की प्रकृति और बीमारी की संभाव्य अवधि बताई गई होगी।

टिप्पण : अराजपत्रित सरकारी सेवक के मामले में, किसी रजिस्ट्रीकृत आयुर्वेदिक यूनानी या होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या दांत संबंधी व्याधियों की दशा में किसी रजिस्ट्रीकृत दंत चिकित्सक या किसी अवैतनिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र भी स्वीकार किया जा सकेगा परन्तु यह तब जबकि ऐसा प्रमाणपत्र, उसी प्रयोजन के लिए उस राज्य सरकार द्वारा जिसमें केन्द्रीय सरकारी सेवक बीमार पड़ता है या उपचार के लिए जाता है, उसके अपने कर्मचारियों को सामान्यतः स्वीकार्य हो।"

4. उक्त नियमों के प्रारूप 3 में—

(i) "मेरे विचार से, सरकारी सेवक के लिए चिकित्सीय बोर्ड के समक्ष हाजिर होना आवश्यक है/नहीं है।" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) टिप्पण-1 का लोप किया जाएगा।

(iii) टिप्पण 2 में 'चिकित्सीय बोर्ड' शब्दों के स्थान पर 'सिविल सर्जन/स्टाफ सर्जन/प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक' शब्द रखे जायेंगे।

[सं० पी-13015/11/82-स्था० (छुट्टी)]

एस० हरिहरन, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 को नीचे ब्योरेवार दी गई अधिसूचना/राजपत्र द्वारा संशोधित किया गया है :

अधिसूचना की संख्या और तारीख राजपत्र अधिसूचना को सं० तथा तारीख का विवरण

1. एफ 16 (3) -ई-IV (ए)/71 तारीख 19-9-1972 का० का० सं० 3724 तारीख 4-11-1972

2. एफ-4 (7) ई-iv (ए)/72 तारीख 30-4-1973 का० आ० सं० 1399 तारीख 19-5-73

3. एफ-5 (14)-ई-iv (ए)/73 तारीख 13-7-73 सा० का० नि० सं० 82 तारीख 4-9-73

4. एफ 14 (10) ई-iv (ए)/73 तारीख 11-6-74 उपलब्ध नहीं
5. एफ 5 (8) ई-iv (ए)/73 तारीख 19-7-74 सा० का० नि० सं० 816 तारीख 3-8-74
6. एफ 14 (8) ई-iv (ए) 73 तारीख 2-11-1974 सा० का० नि० सं० 1242 तारीख 23-12-74
7. एफ 16 (3) ई-iv (ए)/74 तारीख 20-12-74 सा० का० नि० सं० 1374 तारीख 28-12-74
8. एफ 16 (5) ई-iv (ए)/74 तारीख 11-4-75 सा० का० नि० सं० 526 तारीख 26-4-75
9. एफ 16 (8)-ई-iv (ए)/74 तारीख 20-5-75 सा० का० नि० सं० 686 तारीख 7-6-75
10. एफ 4 (1)-ई-iv (ए)/74 तारीख 24-6-75 सा० का० नि० सं० 834 तारीख 12-7-75
11. एफ 16 (5)-ई-iv (ए)/74 तारीख 20-9-75 सा० का० नि० सं० 2876 तारीख 27-12-75
12. एफ 5(7)-ई-iv (ए)/74 तारीख 2-12-75 सा० का० नि० सं० 2877 तारीख 27-12-75
13. एफ 5 (16)-ई-iv (ए)/73 तारीख 15-1-76 उपलब्ध नहीं है।
14. एफ 16 (5)-ई-iv (ए)/74 तारीख 31-7-75 सा० का० नि० सं० 1184 तारीख 14-8-78
15. एफ 4 (3)-ई-iv (ए)/75 तारीख 7-10-76 सा० का० नि० सं० 1587 तारीख 13-11-76
16. एफ 4(9) ई-iv (ए)/75 तारीख 14-3-77 सा० का० नि० सं० 611 तारीख 14-5-77
17. एफ 14 (11) ई-iv (ए)/ 76 तारीख 12-9-78 सा० का० नि० सं० 1159 तारीख 23-9-78
18. पी 14025/12/78-ई-iv (ए) तारीख 4-10-78 सा० का० नि० सं० 1255 तारीख 21-10-78
19. पी 13024/1/78-ई-iv (ए) तारीख 29-8-79 सा० का० नि० सं० 1150 तारीख 1-9-79
20. पी 11012/1/77-ई-iv (ए) तारीख 21-11-79 सा० का० नि० सं० 1422 तारीख 1-12-79
21. पी 14018/1/80-एन य. तारीख 21-11-80 सा० का० नि० सं० 1260 तारीख 13-12-80
22. एफ 16 (9) ई-iv (ए)/76 तारीख 31-12-80 का० आ० 263 तारीख 24-1-81
23. पी 11012/2/80-स्थापना (छ) तारीख 24-8-81 सा० का० नि० सं० 811 तारीख 5-9-81
24. पी 14028/9/80-स्था (क) तारीख 1-10-81 सा० का० नि० सं० 927 तारीख 17-10-81
25. पी 14025/9/80-स्था० (छ) तारीख 16-4-82 सा० का० नि० सं० 423 तारीख 8-5-82
26. पी 13023/1/82-स्था० (छ) तारीख 16-4-83 सा० का० नि० सं० 433 तारीख 4-6-83
27. पी 14028/8/82-स्था० (छ) तारीख 27-7-83 सा० का० नि० सं० 589 दिनांक 27-7-83
28. पी 13023/2/81-स्था (छ) जारी होना है। सा० का० नि० सं० 804 दिनांक 15-11-83
29. पी 14028/6/81-स्था० (छ) तारीख 17-10-83 सा० का० नि० सं० 315 दिनांक 24-3-84

New Delhi, the 25th May, 1984

GSR 566.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution, the President, after Consultation with the comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) (First Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publi-publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 (hereinafter referred to as the said rules), rule 18 shall be omitted.

3. In rule 19 of the said rules :

(a) for the heading, the following shall be substituted, namely :—

"Grant of leave on medical certificate to Gazetted and non-gazetted Government servants."

(b) for sub-rule (1) and Note thereunder, the following shall be substiuted, namely :—

"(1) An application for leave on medical certificate made by —

(i) a Gazetted Government servant, shall be accompanied by a medical certificate in Form 3 given by an Authorised Medical Attendant;

(ii) a non-gazetted Government servant, shall be accompanied by medical certificate in Form 4 given by an Authorised Medical Attendant or a registered Medical Practitioner;

defining as clearly as possible the nature and probable duration of illness.

Note :—In the case of non-gazetted Government servant, a certificate given by a registered Ayurvedic, Unani or Homeopathic medical practitioner or by a registered Dentist in the case of dental ailments or by an honorary medical officer may also be accepted provided such certificate is accepted for the same purpose in respect of its own employees by the Government of the State in which the Central Government Servant falls ill or to which he proceeds for treatment."

4. In Form 3 of the said rules:—

(i) the words "In my opinion it is/it is not necessary for the Government servant to appear before a Medical Board." shall be emitted.;

(ii) Note 1 shall be omitted;

(iii) in Note 2, for the Words "Medical Board" the words "Civil Surgeon/Staff Surgeon/Authorised Medical Attendant," shall be submitted.

[No. P. 13015/11/82-Estt.(L)]
S. HARIHARAN, Under Secy.

Note :—The Principal Central Civil Service (Leave) Rules, 1972 have been amended vide Notification/Gazette detailed below:—

No. and date of Notification	Particulars of Gazette Notification No. & Date.
1. F. 16(3)E.IV(A)/71 Dt. 11-9-72	S.O.No. 3724, Dt. 4-11-1972.
2. F. 4(7)E.IV(A)/72 Dt. 30-4-73	S.O. No. 1399 Dt. 19-5-1973.
3. F. 5(15)E.IV(A)/73 Dt. 13-7-73	G.S.R. No. 821 Dt. 4-8-73.
4. F. 14(10)E.IV(A)/73 Dt. 11-6-74	G.S. Readily not available.

5. F. 5(8)E.IV(A)/73 Dt. 19-7-74	G.S.R. No. 818 Dt. 3-8-1974.
6. F. 14(8)E.IV(A)/74 Dt. 2-11-74	G.S.R. No. 1242 Dt. 23-11-1974.
7. F. 16(3)E.IV(A)/74 Dt. 20-12-74	G.S.R. No. 1374 dt. 28-12-74.
8. F. 16(5)E.IV(A)/74 Dt. 11-4-75	G.S.R. No. 526 Dt. 26-4-1975.
9. F. 16(8)E.IV(A)/74 Dt. 26-5-75	G.S.R. No. 686 Dt. 7-6-75.
10. F. 4(1)E.IV(A)/74 Dt. 24-6-75	G.S.R. No. 834 Dt. 12-7-75.
11. F. 16(5)E.IV(A)/74 Dt. 20-9-75	G.S.R. No. 2876 Dt. 27-12-75
12. F. 5(7)E.IV(A)/75 Dt. 2-12-75	G.S.R. No. 2877 Dt. 27-12-75.
13. F. 5(16)E.IV(A)/73 Dt. 15-1-76	Readily not available.
14. F. 16(6)E.IV(A)/74 Dt. 31-7-76	G.S.R. No. 1184 Dt. 14-8-76
15. F. 6(3)E.IV(A)/76 Dt. 7-10-76	G.S.R. No. 1586 Dt. 13-11-76
16. F. 4(9)E.IV(A)/76 Dt. 14-3-77	G.S.R. No. 611 Dt. 14-5-77
17. F. 14(11)E.IV(A)/76 Dt. 12-9-78	G.S.R. No. 1159 Dt. 23-9-1978
18. P. 14025/1/78-E.IV(A).dt. 4-10-78	G.S.R. No. 1255 Dt. 21-10-78
19. P. 13024/1/78-E. IV(A) Dt. 29-8-79	G.S.R. No. 1150 Dt. 15-9-79.
20. P. 11012/1/77-E. IV(A) Dt. 21-11-79	G.S.R. No. 1422 Dt. 1-12-79.
21. P. 14018/1/80-LU Dt. 21-11-80	G.S.R. No. 1260 Dt. 13-12-80.
22. P. 16(9)E. IV(A)/76 Dt. 31-12-80	S.O. No. 263 Dt. 24-1-1981.
23. P. 11012/2/80-Estt(L) Dt. 24-8-81	G.S.R. No. 811. Dt. 5-9-81.
24. P. 14028/9/80-Estt.(L) Dt. 1-10-81	G.S.R. No. 927 Dt. 17-10-81.
25. P. 14025/9/80-Estt(L) Dt. 16-4-82	G.S.R. No. 423 Dt. 8-5-82.
26. P. 13023/1/82-Estt. (A) Dt. 16-4-83	G.S.R. No. 413 Dt. 4-6-83.
27. P. 14028/8/82- Estt. (A) Dt. 27-7-83	G.S.R. No. 589 Dt. 13-8-83.
28. P. 13023/2/81-Estt.(A) Dt. 12-10-83	Readily not available.
29. P. 14028/6/81-Estt.(A) Dt. 17-10-83	G.S.R. No. 315 Dt. 24-3-84.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 17 मई, 1984

सा० का० नि० 567 :—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1984 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948 में :—

(क) विद्यमान पैरा 65ख के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

"65ख निवास-गृह (फ्लैट के क्रय के लिए या किसी निवास-गृह के जिसके अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए समुचित स्थल का अर्जन भी है, सन्निर्माण के लिए निधि से अग्रिम।

(1) आयुक्त या जहां आयुक्त द्वारा ऐसा प्राधिकृत किया गया हो, वहां उसका अधीनस्थ कोई अधिकारी, ऐसे प्ररूप में जो आयुक्त द्वारा विहित किया जाए, और इस पैरा में विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी सदस्य द्वारा किए गए आवेदन पर निधि में सदस्य के जमा खाते में रकम से निम्नलिखित के लिए अप्रतिदेय अग्रिम मंजूर कर सकेगा :—

(क) निवास-गृह या कोई ऐसा फ्लैट जिसके अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त स्वामित्व वाले किसी भवन में का कोई फ्लैट भी है (पूर्णतया क्रय या अवक्रय आधार पर) क्रय करने के लिए या ऐसे निवास गृह जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी सहकारी सोसाइटी, संस्था, न्यास, स्थानीय निकाय या आवास वित्त निगम (जिसे इसमें इसके पश्चात् यथास्थिति, अभिकरण/अभिकरणों कहा गया है) से इस प्रयोजन के लिए समुचित स्थल का अर्जन भी है, के संनिर्माण के लिए;

या

(ख) निवास-गृह के संनिर्माण के प्रयोजन के लिए निवास स्थल या किसी व्यक्ति से निर्मित निवास-गृह या कोई फ्लैट क्रय करने के लिए परन्तु यह तब जबकि क्रय किया जाने वाला गृह या फ्लैट नया और अनिवासित है;

या

(ग) सदस्य या सदस्य के पति/पत्नी या संयुक्त सदस्य और उसके पति/पत्नी द्वारा स्वामित्व वाले किसी स्थल पर निवास-गृह ——————के संनिर्माण के लिए या ऐसे स्थल पर सदस्य या पति/पत्नी द्वारा पहले से ही प्रारम्भ कर दिए गए किसी निवास-गृह के संनिर्माण को पूरा करने या जारी रखने के लिए;

या

(घ) सदस्य या सदस्य के पति/पत्नी या संयुक्त सदस्य और पति/पत्नी द्वारा स्वामित्व वाले विद्यमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए।

स्पष्टीकरण :

(1) इस पैरा में स्पष्टीकरण :—"सहकारी सोसाइटी" से सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अधीन या सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी राज्य में तत्समय

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 28, 1984/श्रावण 6, 1906
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 28, 1984/SRAVAN 6, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 1984

सा० का० नि० 783.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी कार्य विभाग, प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक के कार्यालयों में (समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी कार्य विभाग, प्रादेशिक निदेशक कम्पनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक कार्यालय में (समूह "घ" पद भर्ती) (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी कार्य विभाग, प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक के कार्यालयों में (समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1969 के नियम 7 में विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि शरीर से असुविधाग्रस्त व्यक्तियों को होम गार्ड के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने से छूट प्राप्त होगी।"

[सं० ए०-42015/15/83-प्रशा०-II)]

जी० वेंकटरमणी, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 18th July, 1984

G.S.R. 783.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Company Affairs, Offices of the Regional Director Registrar of Companies and Official Liquidators (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Company Affairs, Offices of the Regional Director, Registrar of Companies and Official Liquidator, (Group D Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the **Official Gazette.**

2. In the Department of Company **Affairs, Offices of the** Regional Directors, Registrar of **Companies, and Official** Liquidators (Group D Posts) **Recruitment Rules, 1969 in** rule 7, after the existing proviso the **following shall be in**serted, namely :—

"Provided further that physically handicapped person shall be exempted from undergoing training as a Home Guard.'

[No. A-42015/15/83-Admn. II.]
G. VENKATARAMANI, Under Secy.

Deputy Commissioners of Police (Admn.), City; Hyderabad, East; North (Secunderabad); West Zone, South Zone; Special Branch, City; Crime Detective Branch, Hyderabad; Traffic; and City and Licencing CAP	9
Additional Superintendents of Police (Districts)/ ASP Grade I	13
Superintendent of Police	1
	90
2. Central Deputation Reserve @ 40% of 1 above	36
3. Posts to be filled by promotion and selection under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, @ 33-1/3 of 1 and 2 above	42
4. Posts to be filled by Direct Recruitment (1 and 2 minus 3 above)	84
5. Deputation Reserve @22.5% of 4 above	19
6. Leave Reserve @5.62% of 4 above	5
7. Junior posts at 23.17% of 4 above	19
8. Training Reserve @ 11.9% of 4 above	10
Direct Recruitment posts	137
Promotion posts	42
Total authorised strength	179

Note : (1) Prior to issue of this notification the total authorised strength of Andhra Pradesh I.P.S. Cadre was 150.

(2) The principal Regulations were published in the Gazette vide S.R.O. No. 3351 dated 22-10-1955 and subsequently amended vide GSR Nos. 856 E, 1536, 580E, 396E, 623E and 344E dated 30-10-76, 12-11-77, 19-10-79, 18-4-81 21-10-82 and 20-4-83 respectively.

[No. 11052/7/84-AIS(II)-A]
M.P. KURUP, Desk Officer

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1984

सा. का. नि.-788 राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियमावली, 1972 में (i) नियम 28 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात "28. प्रावकाश विभागों में सेवा कर रहे व्यक्तियों के लिए उपार्जित छुट्टी

(1) (क) किसी शिक्षक, प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक अथवा किसी विद्यालय में कार्य कर रहे वाटरमैन के छुट्टी खाते में प्रत्येक कलेंडर वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई को पांच पांच दिनों की दो किस्तों में उपार्जित छुट्टी अग्रिम रूप से जमा की जाएगी।

(ख) यदि किसी अध्यापक, प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, पुस्तकाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक अथवा किसी विद्यालय में कार्य कर रहे किसी वाटरमैन ने किसी अर्ध वर्ष के दौरान असाधारण छुट्टी ली हो और/अथवा उसकी अनुपस्थिति की किसी अवधि को अकार्य दिन माना गया हो तो अगले अर्ध वर्ष की शुरुआत में उसके छुट्टी खाते में जमा की जाने वाली छुट्टी में अधिकतम 5 दिन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस तरह की छुट्टी और या अकार्य दिन की अवधि का 1/30वां भाग कम कर दिया जाएगा।

(ग) जिस अर्ध वर्ष में किसी शिक्षक, प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, पुस्तकाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक अथवा किसी विद्यालय में कार्य कर रहे वाटरमैन की नियुक्ति की जाती है वह सेवा में नहीं रहता है, उस अर्ध वर्ष के दिन उस सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए मास के लिए 5/6 दिन/हिसाब से छुट्टी जमा करने की अनुमति होगी जिसे उसने उस अर्ध वर्ष में की थी/करने की संभावना है जिस अर्ध वर्ष में उसे नियुक्त किया जाता है वह सेवा में नहीं रहता है।

(2) उप-नियम (I) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रावकाश विभाग में सेवा करने वाला सरकारी सेवक (सैनिक अधिकारी से भिन्न), उस वर्ष में, जिसमें वह पूरे प्रावकाश का उपभोग कर लेता है, किए गए कर्तव्य की बाबत किसी उपार्जित छुट्टी का हकदार नहीं होगा।

(3) (क) जिस वर्ष सरकारी सेवक प्रावकाश के किसी भाग का उपभोग करता है, उस वर्ष की बाबत वह 30 दिन, या यदि वह नियम 26 के उपनियम (I) के अपवाद में शामिल है तो 45 दिन के ऐसे अनुपात के बराबर उपार्जित छुट्टी का हकदार होगा, जो उपभोग के किए गए प्रावकाश के दिनों की संख्या का पूर्ण प्रावकाश से है: परन्तु ऐसी कोई छुट्टी ऐसे सरकारी सेवक को, जो स्थायी नियोजन का स्थायित: नियोजन में नहीं है, उसकी सेवा के प्रथम वर्ष के बाबत अनुज्ञेय नहीं होगी।

(ख) यदि किसी वर्ष में सरकारी सेवक किसी प्रावकाश का उपभोग नहीं करता है तो उसे नियम 25 के अधीन उस वर्ष की बाबत उपार्जित छुट्टी अनुज्ञेय होगी।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए "वर्ष" से वह कलेंडर वर्ष अभिप्रेत नहीं है जिसमें कर्तव्य किया जाता है बल्कि किसी प्रावकाश विभाग में वास्तविक कर्तव्य के बारह मास अभिप्रेत है।

टिप्पणी-1. जब तक कि किसी उच्चतर प्राधिकारी के साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे प्रावकाश या प्रावकाश के भाग का उपभोग न करने की अपेक्षा नहीं की जाती तब कि यह समझा जाएगा कि प्रावकाश के हकदार किसी सरकारी सेवक ने प्रावकाश या प्रावकाश के किसी भाग का उपभोग कर लिया है:

परन्तु यदि ऐसे आदेश द्वारा वह पन्द्रह दिन से अधिक के प्रावकाश का उपभोग करने से निवारित कर दिया जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने प्रावकाश के किसी भाग का उपभोग नहीं किया है।

टिप्पणी-2 यदि किसी प्रावकाश विभाग में सेवारत सरकारी सेवक कर्तव्य का एक पूर्ण वर्ष पूरा करने से पूर्व छुट्टी पर चला जाता है तो उसे अनुज्ञेय उपार्जित छुट्टी, छुट्टी पर जाने से पूर्व की वास्तविक कर्तव्य की अवधि के दौरान पड़ने वाले प्रावकाश के प्रति निर्देश से नहीं बल्कि उस प्रावकाश के प्रति निर्देश से संगणित की जाएगी जो उस तारीख से, जिसको वह कर्तव्य का पूर्वतन वर्ष पूर्ण करता है, प्रारम्भ होने वाले वर्ष में पड़े।

टिप्पणी-3. शिक्षक, प्राचार्य, मुख्याध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक अथवा किसी विद्यालय में कार्य कर रहे वार्डमैन के मामले में, उप नियम (3) के अधीन अनुज्ञेय उपार्जित छुट्टी यदि कोई हो, उप नियम (2) के अधीन अनुज्ञेय उपार्जित छुट्टी के अतिरिक्त होगी।

(4) अवकाश, इन नियमों के अधीन किसी भी प्रकार की छुट्टी, के साथ जोड़ कर अथवा उसके क्रम में लिया जा सकेगा :

परन्तु एक साथ लिए गए अवकाश और उपार्जित छुट्टी की कुल अवधि, चाहे उपार्जित छुट्टी अन्य छुट्टी के साथ या मिलाकर उसके क्रम में ली गई है या नहीं, सरकारी सेवक को शोध्य और एक बार में अनुज्ञेय मात्रा से अधिक नहीं होगी।

(5) पिछले अर्ध वर्ष की समाप्ति पर सरकारी सेवक के खाते में इस नियम के अधीन जमा की गई छुट्टी इस शर्त के अधीन रहते हुए अगले अर्ध वर्ष में अग्रेनीत की जाएगी कि इस तरह से अग्रेनीत की गई छुट्टी तथा अर्ध वर्ष के लिए खाते में जमा की गई छुट्टी 180 दिन की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होती हो।

2(II) नियम 29 के उपनियम (I) में (सैनिक अधिकारी से भिन्न) कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर (सैनिक अधिकारी से भिन्न) और नियम 28(1) द्वारा शामिल किए गए कोष्ठक और शब्द।

[सं पी. 18011/3/80-स्था. (छुट्टी)]
एस० हरिहरन, अवर सचिव,

टिप्पणी—मूल केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 को नीचे ब्यौरेवार दी गई अधिसूचना/राजपत्र द्वारा संशोधित किया गया है :—

अधिसूचना की संख्या और तारीख राजपत्र अधिसूचना की सं० तथा तारीख का विवरण

1. एफ 16(3)-ई-IV-(ए)/71 तारीख 11-9-1972 का.आ.सं. 3724 तारीख 4-11-1972
2. एफ 4 (7)-ई-IV-(ए)/72 तारीख 30-4-73 सा.का.नि.सं. 1399 तारीख 19-5-73
3. एफ-5(14)-ई-IV-(ए) /73 तारीख 13-7-73 सा.का.नि.सं 82 तारीख-4-9-73
4. एफ 14 (10)-ई-IV-(ए)/73 तारीख 11-6-76 उपलब्ध नहीं
5. एफ 5(8)-ई-IV-(ए)/73 तारीख 19-7-74 सा. का. नि. सं. 818 तारीख 3-8-74
6. एफ 14(8) -ई-IV-(ए)/73 तारीख 2-11-74 सा.का.नि.सं. 1242 तारीख 23-12-74
7. एफ 16(3)-ई-IV-(ए)/74 तारीख 20-12-74 सा.का.नि.सं. 1374 तारीख 38-12-74
8. एफ 16(5)-ई-IV-(ए)/74 तारीख 11-4-75 सा.का.नि.सं. 526 तारीख 26-4-75
9. एफ 16(8)-ई-IV-(ए)/74 तारीख 26-5-75 सा.का.नि.सं. 686 तारीख 7-6-75
10. एफ-4(1)-ई-IV-(ए)/74 तारीख 24-6-75 सा.का.नि.सं. 834 तारीख 12-7-75
11. एफ 16(5)-ई-IV-(ए)/ 74 तारीख 20-9-75 सा.का.नि.सं. 2876 तारीख 27-12-75
12. एफ 5(7)-ई-IV-(ए)/74 तारीख 2-12-75 सा.का.नि.सं. 2877 तारीख 27-12-75
13. एफ 5(16)-ई-IV-(ए)/73 तारीख 15-1-76 उपलब्ध नहीं है।
14. एफ 16(5)-ई-IV-(ए)/74 तारीख 31-7-76 सा.का.नि.सं. 1164 तारीख 14-8-78
15. एफ 4(3)-ई-IV-(ए)/75 तारीख 7-10-76 सा. का. नि. सं. 1587 तारीख 13-11-76
16. एफ 4(9)-ई-IV-(ए)/75 तारीख 14-3-77 सा. का. नि.सं. 611 तारीख 14-5-77
17. एफ 14(11)-ई-IV-(ए)/76 तारीख 12-9-78 सा.का.नि.सं. 1159 तारीख 23-9-78
18. पी.14025/12/78-ई-IV-('ए) तारीख 4-10-78 सा.का.नि.सं. 1255 तारीख 21-10-78
19. पी 13024/1/78-ई-IV- (ए) तारीख 29-8-79 सा.का.नि.सं. 115 तारीख 15-9-79
20. पी 11012/1/77-ई-IV-(ए) तारीख 21-11-79 सा का. नि. सं. 1422 तारीख 1-12-79
21. पी. 14018/1/80 एस. यू. तारीख 21-11-80 सा. का.नि. सं. 1260 तारीख 13-12-80
22. एफ 16(9)-ई-IV-(ए)/76 तारीख 31-12-80 का.आ. सं. 263 तारीख 24-1-81
23. पी. 11012/2/80-स्था. (छ) तारीख 24-8-81 सा.का.नि.सं. 811 तारीख 5-9-81
24. पी. 14028/9/80-स्था. (छ) तारीख 1-10-81 सा.का.नि.सं. 927 तारीख 17-10-81
25. पी. 14025/9/80-स्था. (छ) तारीख 16-4-82 सा का. नि. सं. 423 तारीख 8-5-82
26. पी. 13023/1/82 स्था. (छ) तारीख 16-4-83 सा. का. नि.सं. 413 तारीख 4-6-83
27. पी. 14028/8/82 स्था. (छ) तारीख 27-7-83 सा.का.नि. सं. 589 तारीख 27-7-83
28. पी. 13023/2/81 स्था. (छ) जारी होना है। सा. का. नि. सं 804 तारीख 15-11-83
29. पी. 14028 /6/81 स्था. (छ) तारीख 17-10-83 सा. का नि.सं. 315 ता. 24-3-84
30. पी. 13015/ 11/82 स्था. (छ) तारीख 25-3-84 अभी प्राप्त नहीं हुआ है

New Delhi, the 12th July, 1984

G.S.R. 788.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with Comptroller and Auditor-General in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) (Second Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972,

(i) for rule 28 the following rule shall be substituted, namely :—

'28. Earned leave for persons serving in Vacation Departments.'

(1) (a) The leave account of a teacher, principal, headmaster, librarian, laboratory assistant or a waterman working in a school shall be credited in advance with Earned leave in two instalments of five days each on the first day of January and July, of every calendar year.

(b) If a teacher, principal, headmaster, librarian, Laboratory Assistant or a waterman working in a school has availed of extraordinary leave and/or some period of absence has been treated as dies-non during a half year the credit to be afforded to his leave account at the commencement of the next half year shall be reduced by 1/30th of the period of such leave and/or dies-non subject to a maximum of 5 days.

(c) The credit for the half year in which a teacher, principal, headmaster, librarian, Laboratory Assistant or a waterman working in a school is appointed/ceases to be in service shall be allowed at the rate of 5/6th day for each completed month of service which he had rendered or is likely to render in the half year in which he is appointed/ceases to be in service.

(2) Subject to provisions of sub-rule (1), a Government servant (other than a military officer) serving in a Vacation Department shall not be entitled to any earned leave in respect of duty performed in any year in which he avails himself of the full vacation.

(3) (a) In respect of any year in which a Government servant avails himself of a portion of the vacation he shall be entitled to earned leave in such proportion of 30 days or 45 days when governed by the Exception to sub-rule (i) of rule 26, as the number of days of vacation not taken bears to the full vacation:

Provided that no such leave shall be admissible to a Government servant not in permanent employ or quasi-permanent employ in respect of the first year of his service.

(b) If, in any year, the Government servant does not avail himself of any vacation, earned leave shall be admissible to him in respect of that year under rule 26.

Explanation.—For the purposes of this rule, the term 'year' shall be construed not as meaning a calendar year in which duty is performed but as meaning twelve months of actual duty in a vacation Department.

Note 1.—A Government servant entitled to vacation shall be considered to have availed himself of a vacation or a portion of a vacation unless he has been required by general or special order of a higher authority to forego such vacation or portion of a vacation:

Provided that if he has been prevented by such order from enjoying more than fifteen days of the vacation, he shall be considered to have availed himself of no portion of the vacation.

Note 2.—When a Government servant serving in a Vacation Department proceeds on leave before completing a full year of duty, the earned leave admissible to him shall be calculated not with reference to the vacations which fall during the period of actual duty rendered before proceeding on leave but with reference to the vacation that fall during the year commencing from the date on which he completed the previous year of duty.

Note 3.—In the case of a teacher, principal, headmaster, librarian, laboratory assistant or a waterman, working in a school the earned leave, if any, admissible under sub-rule (3) will be in addition to the earned leave admissible under sub-rule (2).

(4) Vacation may be taken in combination with or in continuation of any kind of leave under these rules:

Provided that the total duration of vacation and earned leave taken in conjunction, whether the earned leave is taken in combination with or in continuation of other leave or not, shall not exceed the amount of earned leave due and admissible to the Government servant at a time under rule 26.

(5) The earned leave under this rule at the credit of a Government servant at the close of the previous half year shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus the credit for the half year do not exceed the maximum limit of 180 days.

(ii) In rule 29 in sub-rule (1) for the brackets and words (other than Military Officer) the brackets and words (other than Military Officer) and those covered by rule 28(1).

[No. P-18011|3|80-Estt. (L)]
S. HARIHARAN, Under Secy.

Note :—List of earlier amendments to Principal Rules is appended.

NOTE:—The Principal Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 have been amended vide Notification/Gazette as detailed below:—

No. and date of Notification	Particulars of Gazette Notification No. & Date.
1. F. 16(3)E.IV(A)/71 Dt. 11-9-72	S.O. No. 3724 Dt. 4-11-1972
2. F. 4(7)E,IV(A)/72 Dt. 30-4-73	S. O. No. 1399 Dt. 19-5-1973.
3. F. 5(15)E.IV(A)/73 Dt. 13-7-75	G.S.R. No. 821 Dt. 4-8-1973.
4. F. 14(10)EIV(A)/73 Dt. 11-6-74	Readily not available.
5. F. 5(8)E.IV(A)/73 Dt. 19-7-74	G.S.R. No. 818 Dt. 3-8-1973
6. F. 14(8)E.IV(A)/73 Dt. 2-11-74	G.S.R. No. 1242 Dt. 23-11-1974
7. F. 15(3)E.IV(A)/74 Dt. 20-12-74	G.S.R. No. 1374 Dt. 28-12-1974.
8. F.16(5)E.IV(A)/74 Dt. 11-4-74	G.S.R. No. 526 Dt. 26-4-1975.
9. F. 16(8)/E.IV(A)/74 Dt. 26-5-75	G.S.R. No. 686 Dt.7-6-1975
10. F. 4(1E .IV(A)/74 Dt. 24-6-75	G.S.R. No. 834 Dt. 12-7-1975
11. F. 16(5)E.IV(A)/74 Dt. 20-9-75	G.S.R. No. 2876 Dt. 27-12-1975
12. F. 5(7) E.IV(A)/75 Dt. 2-12-75	G.S.R. No. 2877 Dt. 27-12-1975
13. F. 5(16)E.IV(A)/73 Dt. 15-1-76	Readily not available.
14. F. 16(6)E.IV(A)/74 Dt. 31-7-76	G.S.R. No. 1184 Dt. 14-8-1976
15. F. 6(3)E.IV(A)/75 Dt. 7-10-76	G.S.R. No. 1587 Dt. 13-11-1976
16. F.4(9)E.IV(A)/76 Dt. 14-3-77	G.S.R. No. 611 Dt. 14-5-1977
17. F.14(11)E.IV(A)/76 Dt. 12-9-78	G.S.R. No. 1159 Dt. 23-9-1978
18. F. P.14025/12/78-EIV(A) Dt. 4-10-78	G.S.R. No. 2255 Dt. 21-10-1978
19. F. P. 13024/1/78-EIV(A) Dt. 29-8-79	G.S.R. No. 1150 Dt. 15-9-1979
20. P. 11012/1/77-EIV(A) Dt. 21-11-79	G.S.R. No. 1422 Dt. 1-12-1979
21. P. 14018/1/80LU Dt. 21-11-80	G.S.R. No. 1260 Dt. 13-12-1980
22. F. 16(9)E.IV(A)/76 Dt. 31-12-80	S.O. No. 263 Dt. 24-1-1981
23. P. 11012/2/80-Estt(L) Dt. 24-8-81	G.S.R. 811 Dt. 5-9-81
24. P. 14028/9/80-Estt(L) Dt. 1-10-81	G.S.R. No. 927 Dt. 17-10-1981
25. P. 14025/9/81-Estt(L) Dt. 16-4-82	G.S.R. No. 423 Dt. 8-5-1982
26. P. 13023/1/82-Estt(L) Dt. 16-4-83	G.S.R.No. 413 Dt. 4-6-1983
27. P. 14028/8/82-Estt(L) Dt. 27-7-83	Readily not available.
28. P. 13015/11/82-Estt. (L) Dt. 25-5-84	Readily not available.